



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38022

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6747/2026

राम कैलाश पटेल और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: महेंद्र राम मौर्य, श्याम सुंदर शर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद रॉय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया एकमात्र अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को वाद संख्या 883/2022, पुनः संख्यांकित वाद संख्या 18845/2025 (कंप्यूटर वाद संख्या टी202502030318845) को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण याचिका में यह नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध रूप से विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 में दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं को कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता।
तथापि, अवर न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उक्त वाद को **विधि के अनुसार** और जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना विनिश्चित करे।
5. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

19 फ़रवरी, 2026

शकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.